



न्यायालय श्री मान राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर
(रीवा कैम्प संभाग रीवा) मध्यप्रदेश

श्री आर.पी. गोहिल एड.
दफ्तर (रीवा) 9.4.15

निवासी 823-III-15



- 1- दयशंकर मिश्र तनय स्व श्री जगदीश प्रसाद मिश्र
- 2- श्रीमती शिवकुमारी पत्नी स्व श्री उदयशंकर मिश्र
- 3- अरुण कुमार मिश्र पुत्र स्व श्री उदयशंकर मिश्र
- 4- प्रवीण कुमार मिश्र पुत्र स्व श्री उदयशंकर मिश्र
- 5- वैभव कुमार मिश्र पुत्र स्व श्री उदयशंकर मिश्र

सभी निवासी ग्राम रामपुर नैकिन थाना व तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी म.प्र.

.....पुनरीक्षणकर्तागण (उत्तरवादीगण)

बनाम

- 1- श्रीमती शशी मिश्रा पत्नी श्री हेमन्त कुमार मिश्रा
- 2- हेमन्त कुमार मिश्रा पुत्र स्व श्री जगदीश प्रसाद मिश्र दोनों निवासी ग्राम रामपुर नैकिन थाना व तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी म.प्र.

.....गैरपुनरीक्षणकर्तागण

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) उपखण्ड चुरहट /रामपुर नैकिन जिला सीधी म0प्र0 द्वारा अपील प्रकरण कमांक 42/अपील/2013-14 श्रीमती शशी मिश्रा विरुद्ध दयाशंकर वगैरह में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 10.02.2015 ।

अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू रा. सं 1959 ।

क्रमांक 4998
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 10-4-15 को प्राप्त

10-4-15
राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर,

प्रार्थी पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से बिषयान्तर्गत पुनरीक्षण निम्न हैं-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

ग्राम रामपुर नैकिन तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी म.प्र. की भूमि सर्वे कमांक 178/2 रकबा 0.809 हे., 200/1 रकबा 0.081 हे., 202 रकबा 0.454 हे., 204/1ख रकबा 0.073 हे., 204/2 रकबा 0.024 हे., 206/2 रकबा 0.154 हे., की भूमिस्वामिनी हम पुनरीक्षण कर्ता कमांक 1

Caution


M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

45

मामला क्र. नि.823/III/15

जिला-सीधी

(1)	(2)	(3)
27.10.16	<p>आवेदक एवं आवेदक के अधिवक्ता 4 पेशियों से उपस्थित नहीं हो रहे हैं। उनको समय-समय पर आवाज लगवाई गयी कोई उपस्थित नहीं। आवेदक अधिवक्ता के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p> सदस्य</p>	



044